न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 143/2018

वादीगण–

1. हरिराम चौधरी पुत्र श्री स्व.अन्नाराम, जाति–जाट,निवासी–सोनेली,तहसील–जायल,नागौर हाल निवासी 5 सी 100/101 जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भगवानाराम उर्फ भुगानाराम पुत्र स्व.अन्नाराम जाति–जाट, निवासी सोनेली, तहसील–जायल, नागौर।
2. मूली देवी पत्नी स्व.भवंरलाल उर्फ भवंरूराम जाति जाट
3. मैना देवी पुत्री स्व.भवंरलाल उर्फ भंवरूराम पत्नी सहीराम जाति–जाट निवासी–सोनेली,जायल, जिला–नागौर।
4. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री अम्बालाल पारासर वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 6/1/2023

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा सोनेली तहसील जायल में खेत खसरा नं. 99/2 रकबा बीघा, खसरा नं. 167 रकबा 2.17 बीघा व खसरा नं. 611 रकबा 17.14 बीघा ,खसरा नंबर 626 रकबा 8.19 बीघा रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या सगे भाई है तथा स्व.अन्नाराम की जायन्दा संतान है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पति व पिता स्व. भंवरलाल वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के सगे भाई रहे है। स्व.अन्नाराम की वर्ष 1951–1952 में ही देहान्त होने से उपरोक्त भाईयों का लालन–पालन बतौर संरक्षक कर्ता खानदान जायन्दा माता श्रीमती जीवणी देवी द्वारा किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या1 के सगे भाई भवंरलाल को जायन्दा माता द्वारा अपने जीवण काल में ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के सगे दादाजी पीथाराम के सगे भतीजे चतरूराम उर्फ चतराराम को मौखिक रूप से वर्ष 1970 में ही गोद दे दिया गया था। जिसके बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का सगा भाई भंवरूराम उर्फ भवंरलाल अपना गोद पुत्र का फर्ज निभाते हुवे ग्राम सोनेली में चतरूराम के खातेदारी भूमि के खेतायों पर काबिज काश्त किया जाता रहा तथा बाद मृत्यू दिनांक 25.04.2018 को भवंरलाल उर्फ भंवरूराम के खेतायों पर उसके उतराधिकारी बतौर काश्तकारी करते आ रहे है। भवंरलाल उर्फ

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

भंवरूराम के गोद चले जाने के पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार के साथ उसकी किसी प्रकार की सहदायिकी नहीं रही तथा ना ही वह सदस्य रहा।

इस कारण से ग्राम सोनेली खेत खसरा नं. 99/2 रकबा बीघा, खसरा नं. 167 रकबा 2.17 बीघा व खसरा नं. 611 रकबा 17.14 बीघा ,खसरा नंबर 626 रकबा 8.19 बीघा पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक,हकूको के रहते चले आये है। वादी सरकारी विभाग में कर्मचारी रहा जिस कारण ग्राम से अधिकार बाहर ही परिवार के साथ निवास करता था। काश्त के समय गांव आकर खेताय में प्रतिवादी संख्या 2 के साथ 1/2 पर अपना सम्पूर्ण खेताय में काश्त करता एवं काबिज रहा है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के काश्त काबिज खेतायों की खातेदारी,जमांबदी में भंवरूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र अन्नाराम गोद पुत्र चतरूराम उर्फ चतराराम दर्ज कर दिया गया। जबकि उपरोक्त समस्त खेतायों के किसी भू–भाग पर भंवरलाल के गोद चले जाने के कारण ना तो कब्जा काश्त रहा है ना हक रहा है।

इस कारण उपरोक्त चारों खेतायों के कुल रकबा 68.10 बीघा के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से काबिज काश्त रहे एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त खेतायों का भौतिक रूप से जुबानी बंटवाड़ा करीब 30 वर्ष पूर्व कर लिया जिस की पूरी जानकारी भंवरलाल उर्फ भंवरूराम को व उसके उतराधिकारियों का रही है। जो बंटवाड़ा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच उपरोक्त खेतायों का 1/2 हिस्सा किया गया। जिस कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में निम्नानुसार बंटवाड़ा करने से खेताय पर कब्जा बतौर काश्त कब्जा रहा है। विवादित खेतायों के राजस्व रेकर्ड में भंवरलाल उर्फ भवंरूराम का नाम गलत इन्द्राज हो जाने तथा उसकी मृत्यू दिनांक 25.04.2018 को हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को मृतक भंवरूराम के उत्तराधिकारी होने से विधिनुसार कोई आपति नहीं करे इसलिय उनको आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 30 वर्ष पूर्व को वाद पत्र के पैरा संख्या 3 (क व घ) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी हरिराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 99/2 रकबा 39 बीघा में से 1/2 उतरी भाग , खसरा नंबर 611 रकबा 17.14 बीघा में से 1/2 दक्षिणी भाग , खसरा नंबर 626 रकबा 8.19 बीघा 1/2 दक्षिणी भाग हक बंट में रहा है जिसके अनुसार कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 भुगानाराम उर्फ भगवानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 99/2 रकबा 39 बीघा में से 1/2 दक्षिणी भाग , खसरा नंबर 611 रकबा 17.14 बीघा में से 1/2 उतरी भाग , खसरा नंबर 626 रकबा 8.19 बीघा 1/2 उतरी भाग हक बंट में रहा है जिसके अनुसार कब्जा काश्त है। ग्राम सोनेली के खसरा नंबर 167 रकबा 1.17 बिश्वा जिसके दक्षिणी भाग में मकान 2 अलग–अलग मौक पर बने हुऐ है उन में से एक मकान उतरी तरफ वाला जिसका रकबा 3–1/2 बिस्वा है वादी हरिराम के बंट में रहा तथा हरिराम के दक्षिण वाला प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में रहा है। उपरोक्त खसरा नंबर 167 के 7 बिश्वा का उपरोक्त प्रकार से बंट करने के बाद उक्त खसरा में से 2.10 बीघा भूमि में से 1.5 बीघा उतरी भाग वादी के हक बंट में रखा गया है तथा 1.5 बीघा दक्षिणी भाग प्रतिवादी संख्या 1 के हक बंट में काबिज चलता आया है। वादीगण व प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के सगे भाई भंवरूराम उर्फ भवंरलाल के गोद चले जाने के पश्चात् भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की कब्जा काश्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पति एवं पिता का नाम खातेदारी में आ जाने के कारण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के सम्मन मय रजिस्ट्रर्ड रसीद के प्राप्त हुवे जो शामिल मिसल है। बावजूद सूचना के गैर हाजिर/अनुपस्थित रहे, आवाजे लगाई गई, ना तो प्रतिवादीगणों की तरफ से कोई वकील या ना ही कोई पक्षकार उपस्थित हुवे इसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 4 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह रामकुंवार पुत्र श्री मुकनाराम जाट, हरिराम चौधरी पुत्र स्व.श्री अन्नाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम सोनेली तहसील–जायल सम्वत् 2071–2074 खाता संख्या 237 प्रदर्श–1, खाता संख्या 209 प्रदर्श–2 नकल पेश हुवे। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पति एवं पिता भंवरलाल उर्फ भंवरूराम का मृत्यू प्रमाण पत्र। खाता संख्या 209 जमाबंदी अनुसार भवंरलाल का चतराराम उर्फ चतरूराम के गोद जाने का साक्ष्य इत्यादि संलग्न है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक वर्णित पैराज अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के विरूद्व गैर हाजिर रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा माफिक वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त भी होना बताया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का वाद पत्र इस्तदुआ एवं पैरा संख्या 3 के क से घ अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता वादी ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गई है क्यों कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता एवं पति स्व. भंवरलाल गोद पुत्र स्व चतराराम उर्फ चतरूराम के गोद चले गये। जिसके संबंध में मौजा सोनेली के सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 237 की जमाबंदी साक्ष्य सबूत के तौर पर संलग्न है जिसके कुल भूमि 97.09 बीघा निहित है।

प्रकरण हाजा में मौजा सोनेली के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 99/2, 167,611,626 की भूमि का माफिक वादपत्र अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 99/2, 167,611,626 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 24.08.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 24.08.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 25 दिनांक 12.11.2022 को प्राप्त हुआ। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार डेह द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में प्रतिवादी भगवानारा पुत्र अन्नराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। वादी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान रामकुंवार, मनफुल, महेन्द्र तथा भू.अभि.निरीक्षक मांगलोद की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। दिनांक 15.07.2022 को वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजनीामा पेश किया गया जिसमें वादी की पहचान श्री अम्बालाल पारासर एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है – वादी हरिराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 99/2 रकबा 6.3131 हैक्टेयर में से 3.8748 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार उतरी भाग, खसरा , खसरा नंबर 626 रकबा 1.4488 हैक्टेयर पूरा खेत तथा खेत खसरा नंबर 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.2278 दो भागों में संलग्न नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 भुगानाराम उर्फ भगवानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 99/2 रकबा 6.3131 हैक्टेयर में से 2.4383 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार , खसरा नंबर 611 रकबा 2.8652 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 167 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.2335 हैक्टेयर दो भागों में साथ संलग्न नजरीनक्शानुसार रखा जाकर डिकी जारी करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 3,4 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3,4 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। विवादग्रस्त खेतायों की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

मुताबिक राजीनामा प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सोनेली के खेत खसरा नंबर 167 , 611, 99/2 का विभाजन पक्षकारान् के मध्य मुताबिक राजीनामा अनुसार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी हरिराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 99/2 रकबा 6.3131 हैक्टेयर में से 3.8748 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार उतरी भाग, खसरा , खसरा नंबर 626 रकबा 1.4488 हैक्टेयर पूरा खेत तथा खेत खसरा नंबर 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.2278 दो भागों में संलग्न नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 भुगानाराम उर्फ भगवानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 99/2 रकबा 6.3131 हैक्टेयर में से 2.4383 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार , खसरा नंबर 611 रकबा 2.8652 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 167 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.2335 हैक्टेयर दो भागों में साथ संलग्न नजरीनक्शानुसार रखा जाकर डिक्री जारी करने का निवेदन किया।
3. प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3, 4 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क बनने पर राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।
4. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित होकर सूचना अद्यतन की जावे।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश दमामी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 143/2018

वादीगण–

1. हरिराम चौधरी पुत्र श्री स्व.अन्नाराम, जाति–जाट,निवासी–सोनेली,तहसील–जायल,नागौर हाल निवासी 5 सी 100/101 जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भगवानाराम उर्फ भुगानाराम पुत्र स्व.अन्नाराम जाति–जाट, निवासी सोनेली, तहसील–जायल, नागौर।
2. मूली देवी पत्नी स्व.भवंरलाल उर्फ भवंरूराम जाति जाट
3. मैना देवी पुत्री स्व.भवंरलाल उर्फ भंवरूराम पत्नी सहीराम जाति–जाट निवासी–सोनेली,जायल, जिला–नागौर।
4. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री अम्बालाल पारासर वादी की ओर से।
2. श्री गोविन्दराम ढाका प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही।
4. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अम्बालाल पारासर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सोनेली के खेत खसरा नंबर 167 , 611, 99/2 का विभाजन पक्षकारान् के मध्य मुताबिक राजीनामा अनुसार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी हरिराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 99/2 रकबा 6.3131 हैक्टेयर में से 3.8748 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार उतरी भाग, खसरा , खसरा नंबर 626 रकबा 1.4488 हैक्टेयर पूरा खेत तथा खेत खसरा नंबर 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.2278 दो भागों में संलग्न नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 भुगानाराम उर्फ भगवानाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 99/2 रकबा 6.3131 हैक्टेयर में से 2.4383 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार , खसरा नंबर 611 रकबा 2.8652 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 167 रकबा 0.4613 हैक्टेयर में से रकबा 0.2335 हैक्टेयर दो भागों में साथ संलग्न नजरीनक्शानुसार रखा जाकर डिकी जारी करने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

3. प्रतिवादी संख्या 3, 4 के नाम कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3, 4 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क बनने पर राजहक में जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।
4. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित होकर सूचना अद्यतन की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06/1/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06/1/2023 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)